न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 17 / 2022

मोती पुत्र अजबसिंह जाति जाट निवासी जगदीशपुर औरंगाबाद पोस्ट खकुडा थाना अहमदगढ ब्लॉक पहसु तहसील शिकारपुर औरंगाबाद जिला बुलन्दशहर (उ0प्र0)

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन महिन्द्रा पिकअप गाडी संख्या यू.पी.13 / बीटी–3317 वमुकदमे एफ.आई. आर. संख्या 69 / 2022 थाना कामां जिला भरतपुर

उपस्थित :–

1. श्री दिलीप सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय दिनांक 23.02.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी वाहन महिन्द्रा पिकअप गाडी संख्या यू.पी.13 / बीटी–3317 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है तथा वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी के उक्त वाहन को पुलिस थाना कामां द्वारा प्रकरण में कतई व असत्य तथ्यों के आधार पर जब्त कर लिया है जो कि थाना कामां में खुले में खडा हुआ है जिसके खुले में खडे रहने से खराब होने की संभावना है तथा पुलिस थाना को उक्त वाहन की आवश्यकता नही है। प्रार्थी को अपने जीवन यापन के लिए वाहन की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी अपने वाहन को सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर महिन्द्रा पिकअप गाडी संख्या यू.पी.13 / बीटी–3317 को सुपुर्दगी दिये जाने की प्रार्थना की है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कामां से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना कामां से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थी वाहन महिन्द्रा पिकअप गाडी संख्या यू.पी.13/बीटी–3317 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है व सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी के उक्त वाहन को पुलिस थाना कामां द्वारा प्रकरण में कतई व असत्य तथ्यों के आधार पर जब्त कर लिया है जो थाना कामां में खुले में खडा हुआ है जिसके खुले में खडे रहने से खराब होने की संभावना है तथा पुलिस थाना को उक्त वाहन की आवश्यकता नही है। प्रार्थी को अपने जीवन यापन के लिए उक्त वाहन की आवश्यकता है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क किया है कि जब्त वाहन में दो गोवंश बैल थे। उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है। वाहन स्वामी के पास में कोई रवन्ना या परमिट नही था जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी व अभियोजन अधिकारी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना कामां की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना कामां ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप गाडी संख्या यू.पी.13/बीटी–3317 में दो गोवंश बैल को ले जाया जा रहा था। जिसके पास गोवंश को परिवहन करने का कोई परमिट या रवन्ना नही था। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गौवंश की तस्करी में उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी द्वारा भी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो सके कि उक्त वाहन में दो गोंवश का परिवहन करना एवं सक्षम आदेश/लाइसेन्स से परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकार प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप गाडी संख्या यू.पी.13/बीटी–3317 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन महिन्द्रा पिकअप गाडी संख्या यू.पी.13/बीटी–3317 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी कामां (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर